

आतिशी ने एलजी से की मुख्य सचिव की शिकायत सतर्कता व सेवा मंत्री ने निर्वाचित सरकार के आदेश को न माने जाने पर एलजी को लिखा पत्र



पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

सेवा एवं सतर्कता मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर मुख्य सचिव नरेश कुमार की शिकायत की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं।

मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 सेवाओं के संबंध में उपराज्यपाल को केवल विशिष्ट शिक्षियों प्रदान करता है। इनका प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को लेकर की गई सिफारियों पर किया जाना है। साथ ही कहा कि सर्वोच्च कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि एनसीटीडी को सेवा सेवाओं की चुनी हुई सरकार के पक्ष में केंसर सुनाया और विधियाँ और कार्यकारी शिक्षियाँ हैं। मंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव ने जो जवाब दिए हैं वह गलत है।

सर्विसेज पर एजीव्यूटिव कंट्रोल के मुद्र पर असहमति के बाद, आतिशी ने उपराज्यपाल विनाश कुमार सक्सेना को इस मामले पर पुनरुद्देश करने के लिए पत्र लिखा है और उनकी राय भी मांगी है। मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि संविधान के खंड (3) और (4), राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल सभी मामलों के संबंध में पब्लिक ऑफिसर, लैंड और पुलिस को छोड़कर दिल्ली के मिशनिंग ऑफिसर के लिए विधानसभा की शिक्षियों को छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप, सर्विसेज पर जीएनसीटीडी की धारा 3 के संबंध में अपनी शिक्षियों का प्रयोग करते हैं। तब से, उपराज्यपाल दिल्ली में सर्विसेज के संबंध में सभी नियाय ले रहे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2023 के अपने आदेश से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के केवल विशिष्ट शिक्षियों पर प्रदान करता है, जिसका प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा पर विधायी और कार्यकारी शिक्षियों है। मंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव ने जो जवाब दिए हैं वह गलत है।

सर्विसेज पर एजीव्यूटिव कंट्रोल के मुद्र पर असहमति के बाद, आतिशी ने उपराज्यपाल विनाश कुमार सक्सेना को इस मामले पर पुनरुद्देश करने के लिए पत्र लिखा है और उनकी राय भी मांगी है। मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि एनसीटीडी को सेवा सेवाओं की चुनी हुई सरकार के पक्ष में केंसर सुनाया और विधियाँ और कार्यकारी शिक्षियाँ हैं। मंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव ने जो जवाब दिए हैं वह गलत है।

केंद्रीय गृह मंत्रीलाल ने भी 21 मई, 2015 को अपनी अधिसूचना में यह निर्धारित किया था कि उपराज्यपाल (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हुआ, जिसने जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 से संबंधित विधानसभा की चुनी हुई सरकार के केवल विशिष्ट शिक्षियों पर विधायी और कार्यकारी शिक्षियों पर किया जाना है। उन्होंने कहा कि एनसीटीडी को संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनी हुई शिक्षियों पर किया जाना है। इसके बाद, जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हुआ, जिसने जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 को जगह ले ली इसमें विशेष

अँडर और सेवाओं से जुड़े मामलों के संबंध में अपनी शिक्षियों का प्रयोग करते हैं। तब से, उपराज्यपाल दिल्ली में सर्विसेज के संबंध में सभी नियाय

रूप से संशोधन अधिनियम ने जानबूझकर धारा 3 ए को हटा दिया गया। फिर भी जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 में सर्विसेज के संबंध में एलजी को केवल विशिष्ट शिक्षियों पर प्रदान करता है, जिसका प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा परिवर्तन नहीं है। जो चुनी हुई सरकार के केवल विशिष्ट शिक्षियों की दलीलों पर ध्यान दिया कि पहले विधायी को संवैधानिक वैधता को चुनी हुई दी गई थी जो अब संसद में मंजूरी प्राप्त करना चाहता है।

प्रधान न्यायाधीश डॉ. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मरीना मिश्रा की पीठ ने कहा, अंतरिम अर्जी उपरियोग विधायी को संशोधन का अनुरोध करती है, जिसमें एनसीटीडी अधियोगदेश को चुनी हुई दी गई थी। अब यह एक अधिनियम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम, 2023) के जारी अलावा सरकार के केवल विशिष्ट शिक्षियों को धारा 3 के संबंध में अय सभी शिक्षियों जो एलजी को प्रदान करती हैं, उनका प्रयोग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंजूर मंडल द्वारा किया जाना है।

ऐसे में जीएनसीटीडी संवैधान अधिनियम की धारा 45 जे (5) के तहत सूची संचिव का कहना है कि जीएनसीटीडी के अधिनियम से धारा 3 के हालों के बावजूद लोकसभा एवं राष्ट्रीय सभा ने धारा 3 के अधिनियम के बावजूद सर्विसेज और एवं जिलेंसे से संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी हैं। पीठ ने जारी की धारा 3 के अधिनियम के बावजूद लोकसभा एवं राष्ट्रीय सभा को प्रधान विधायी राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम, 2023 के जारी अलावा सरकार के केवल विशिष्ट शिक्षियों को धारा 3 के संबंध में अय सभी शिक्षियों जो एलजी को प्रदान करती हैं, उनका प्रयोग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंजूर मंडल द्वारा किया जाना है।

इससे में जीएनसीटीडी संवैधान अधिनियम की धारा 45 जे (5) के तहत सूची संचिव का कहना है कि जीएनसीटीडी के अधिनियम से धारा 3 के हालों के बावजूद लोकसभा एवं राष्ट्रीय सभा ने धारा 3 के अधिनियम के बावजूद सर्विसेज और एवं जिलेंसे से संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी हैं। इससे में जीएनसीटीडी के अधिनियम के बावजूद सरकार के पास है, न की चुनी हुई सरकार के समक्ष चुनी हुई दी गई थी। इसके बाद, जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हुआ, जिसने जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 को जगह ले ली इसमें विशेष

रूप से संशोधन अधिनियम ने दिल्ली सरकार को विधियों में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित विधायदेश के बजाय संसद द्वारा हाल में पारित कानूनी विधायदेश को चुनी हुई दी गई थी।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले ली जाना है।

जीएनसीटीडी के अधिनियम, 2023 को जगह ले

